

वाणिज्य अ.ज.-657



विद्युत पैकेज संख्या-10,11 व 12 दिनांक 18.02.2017
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(वाणिज्य शाखा)

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ. (मुख्यालय)/अधी.अ.(वा.)/अ.अ.-II/2016-17/प्रे दि:

5203 17-317

संशोधन-आदेश

विषय:- कृषि श्रेणी के बढ़ाई गई बिजली दरों को वापस लेने के संदर्भ में ।

कृषि श्रेणी में बढ़ाई गई बिजली दरों को वापस लेने के संदर्भ जारी आदेश क्रमांक अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ. (मुख्यालय)/अधी.अ.(वा.)/अ.अ.-II/2016-17/प्रे 4925 दि: 20.02.2017 (वाणिज्य अ.ज.- 653) में आंशिक संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश में सामान्य श्रेणी (ब्लॉक सप्लाई) के स्थान पर सामान्य श्रेणी पढा जावें। जिन कृषि उपभोक्ताओं की पूर्व में सामान्य श्रेणी में बिलिंग हो रही है, उन सभी उपभोक्ताओं पर यह आदेश लागू होगा।

आज्ञा से



(एन. एल. सालवी) 17/03/2017

अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर